

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्यूकेशन (डी.एल.एड.)
नियमित पाठ्यक्रम

प्रवेश नियम
(शासकीय संस्थानों हेतु)

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
:: आदेश::

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम
(शासकीय संस्थानों हेतु)

भोपाल, दिनांक 17/06/2019

क्र./एफ 44-10/2019/20-2 राज्य शासन मध्यप्रदेश के शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) द्विवर्षीय नियमित पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार नवीन प्रवेश नियम एतद् द्वारा जारी करता है -

1. नाम: इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन नियमित पाठ्यक्रम प्रवेश नियम (शासकीय संस्थान) होगा।
2. प्रभावशीलता: ये नियम आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश में संचालित ऐसे सभी शासकीय संस्थानों पर प्रभावशील होंगे जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से सम्बद्धता प्राप्त "डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।
3. परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-
(क) डी.एल.एड. से तात्पर्य है, "डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम।
(ख) एन.सी.टी.ई. से तात्पर्य है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council for Teacher Education)।
(ग) मा.शि.म. से तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल।
(घ) संस्थान से तात्पर्य है डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने वाले शासकीय संस्थान
(ङ) शैक्षणिक सत्र से अभिप्रेत है दिनांक 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर आगामी वर्ष की दिनांक 30 जून तक की समयावधि।
(च) एम.पी. ऑनलाइन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश सरकार का अधिकृत पोर्टल जिसके द्वारा इन नियमों के तहत प्रवेश की सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जावेगी।
4. प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के मापदण्ड अनुसार अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल म.प्र. अथवा समकक्ष बोर्ड से हायर सेकण्डरी (+2) स्कूल सर्टिफिकेट या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए उपर्युक्त पात्रता में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।
5. प्रवेश हेतु आयु अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वाले वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो।
6. प्रवेश हेतु स्थानों (सीट्स) की उपलब्धता
6.1 प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में उसके क्षेत्राधिकार वाले जिले/जिलों के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्राप्ति होगी। शासकीय सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 5 प्रतिशत सीट्स आरक्षित रहेंगी। शासकीय सेवारत

शिक्षकों के आवेदन उपलब्ध न होने अथवा प्रवेश होने के पश्चात् स्थान रिक्त रहने पर इन सीट्स पर अन्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

6.2 संकायवार स्थानों (सीट्स) का निर्धारण- प्रारम्भिक शिक्षा में प्रचलित विषयों के अभ्यर्थियों को समानुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक शासकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में निम्नानुसार संकायवार स्थान निर्धारित रहेंगे।

| कुल स्थान | गणित एवं जीव विज्ञान संकाय (40 प्रतिशत) | कला संकाय (40 प्रतिशत) | शेष संकाय (20 प्रतिशत) |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 20 | 20 | 10 |
| 100 | 40 | 40 | 20 |

टीप- कॉलम 4 में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. द्वारा हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा अनुसार शेष सभी संकायों यथा वाणिज्य, कृषि, गृहविज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, फाईन आर्ट्स इत्यादि के अभ्यर्थियों के लिए सीट्स निर्धारित रहेंगी। यदि किसी संकाय के लिए निर्धारित स्थानों (सीट्स) के लिए योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं रहेंगे अथवा स्थान (सीट्स) सरिक्त रहता है तो अन्य संकाय के अभ्यर्थियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

6.3 डाइट विहीन जिलों के लिए सम्बद्ध डाइट का विवरण:

वर्तमान में प्रदेश के 42 जिलों में डाइट्स में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम संचालित हैं। भविष्य में अन्य जिलों में संस्थान प्रारम्भ होने के पश्चात् नवीन संस्थानों में भी इन्हीं नियमों के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया संचालित होगी। सत्र 2019-20 में शेष 9 जिलों के अभ्यर्थी निम्नानुसार प्रवेश हेतु आवेदन करेंगे-

| क्र. | जिला | सम्बद्ध डाइट का नाम |
|------|-------------|---------------------------|
| 1 | बुरहानपुर | डाइट खण्डवा |
| 2 | अशोकनगर | डाइट बजरंगगढ़ (गुना) |
| 3 | हरदा | डाइट पचमढ़ी (होशंगाबाद) |
| 4 | अनूपपुर | डाइट शहडोल |
| 5 | श्यामपुरकला | डाइट मुरैना |
| 6 | झाबुआ | डाइट अलीराजपुर |
| 7 | सिंगरौली | डाइट सीधी |
| 8 | आगर मालवा | डाइट शाजापुर |
| 9 | निवाड़ी | डाइट कुण्डेश्वर (टीकमगढ़) |

7. आरक्षण- मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा-

7.1 संस्थानों में अभ्यर्थियों को म.प्र. लोक सेवा (अ.जा., अ.ज.जा. एवं अ.पि.वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 एवं समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों/ संसाधनों के तहत जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्ग के लिए निर्धारित मॉडल रोस्टर का पालन करते हुए डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की सीट्स पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

7.2 महिलाओं के लिए आरक्षण: इन संस्थानों में भरे जाने वाले कुल स्थानों (सीट्स) के 50 प्रतिशत स्थान (सीट्स) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (होरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज) होगा। यहां प्रभागवार आरक्षण से आशय प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों में महिला अभ्यर्थियों को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। किसी प्रवर्ग में महिला अभ्यर्थी आवश्यक संख्या में उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त स्थान (सीट्स) की पूर्ति उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर की जाएगी।

7.3 निःशक्तजन हेतु आरक्षण: डी.एल.एड. पाठ्यक्रम हेतु कुल स्वीकृत स्थानों में से 6 प्रतिशत स्थानों पर निःशक्तजन को समस्तर (होरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 (1) के अनुसार दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि, बधिर और कम सुनने वाले लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, ऐसिड अटैक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी एवं बहुविकलांगता संबंधी धारा (ई) में उपरोक्तानुसार श्रेणियों को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक श्रेणी को 1.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। निः शक्तजन श्रेणी के आवेदक को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 09/01/2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता का प्रतिशत, 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर ही निः शक्तजन श्रेणी के आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

7.4 भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण: म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-1/99/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 26 जून 1999 के अनुक्रम में संविदा शाला शिक्षकों की रिक्तियों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संस्थान में स्वीकृत कुल सीट्स में से 10% सीट्स भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार (होरिजेन्टल एवं कम्पार्टमेंट वाइज) होगा, अर्थात् प्रत्येक वर्ग यथा - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित स्थानों (सीट्स) में से 10% स्थान (सीट्स) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेंगी। किसी प्रवर्ग में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के रिक्त स्थान (सीट्स) की पूर्ति उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से मेरिट आधार पर की जाएगी। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को भूतपूर्व सैनिक होने संबंधित विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.5 जाति प्रमाण पत्र: मध्यप्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु स्थायी जाति प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। स्थायी प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत है अथवा उक्त अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए एवं इसे प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में क्रीमि लेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र के साथ आय प्रमाण-पत्र चालू वर्ष भी संलग्न करना होगा।

8. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा तैयार द्विवर्षीय पुनरीक्षित डी.एल.एड. पाठ्यक्रम लागू रहेगा। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा योजना संबंधित नियम एवं विस्तृत निर्देश म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किए जाएंगे। इनमें सैद्धांतिक परीक्षा, व्यावहारिक शिक्षण अभ्यास के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा इत्यादि का विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

9. शुल्क

अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय डी.एल.एड. संस्थानों के लिये निर्धारित शुल्क एवं मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। प्रवेश लेने के उपरान्त यदि छात्र/छात्रा द्वारा संबंधित संस्थान में प्रवेश निरस्त करने एवं जमा किये गए शुल्क की वापसी की कार्यवाही का अनुरोध किया जाता है तो संबंधित को कॉशनमनी वापसी योग्य होगी।

10. प्रवेश की प्रक्रिया

10.1 प्रवेश हेतु विज्ञप्ति:

- (i) राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रदेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों, एम.पी. ऑनलाइन एवं विभागीय वेबसाइट (एज्युकेशन पोर्टल) पर प्रवेश सम्बन्धी विस्तृत विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
- (ii) प्रवेश सम्बन्धी विभिन्न तिथियों की घोषणा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पृथक से की जावेगी।

10.2 डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश:

डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन (डी.एल.एड.) नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया इस प्रकार की जावेगी कि दिनांक 01 जुलाई से पूर्व अभ्यर्थियों का संस्थानों में प्रवेश का कार्य पूर्ण हो जाए। एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन, एडिटिंग, संस्थान प्राथमिकता क्रम दर्ज करने हेतु निर्धारित शुल्क कियोस्क सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान किया जावेगा। पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर ही संस्थान में सीट आवंटन की जावेगी। त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रवेश प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नानुसार रहेंगे:

10.2.1 पंजीयन एवं संस्थान प्राथमिकता निर्धारण:

- i. आवेदक द्वारा डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एम.पी. ऑनलाइन के कियोस्क पर अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन किया जाना होगा। पंजीयन के अवसर पर समस्त आवश्यक दस्तावेज एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किये जाने होंगे। एम.पी. ऑनलाइन द्वारा आवेदक को SMS के माध्यम से आवेदन क्रमांक व पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस पासवर्ड के आधार पर आवेदक आवश्यकतानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन हेतु निर्धारित तिथियों की जानकारी पृथक से विज्ञप्ति में प्रकाशित की जाएगी।
- ii. आवेदक को पंजीयन का अवसर एक बार एवं संस्थान की प्राथमिकता निर्धारण हेतु प्रत्येक चरण में अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक द्वारा स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थानों की सूची में से अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम संस्थानों का चयन किया जा सकता है। डी.एल.एड. प्रवेश प्रक्रिया में इस प्रकार 03 चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया की जायेगी। तृतीय चरण में आवश्यकतानुसार आरक्षण संबंधी प्रावधान शिथिल करने की कार्यवाही की जायेगी।
- iii. आवेदक पंजीयन में प्रदत्त जानकारी में यदि त्रुटि सुधार या परिवर्तन करना चाहता है तो निर्धारित समयावधि में 'एडिट' (Edit) का अवसर उपलब्ध रहेगा। आवेदक द्वारा इसी निर्धारित अवधि में त्रुटि सुधार किया जाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् त्रुटि सुधार के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- iv. उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर SMS एवं पोर्टल के माध्यम से आवेदक को जानकारी उपलब्ध होगी।

10.2.2 सीट आवंटन:

- i. अभ्यर्थी को निम्नांकित आधार पर संस्थानों में सीट आवंटित की जाएगी-
 - (अ) शैक्षणिक अर्हता की मेरिट (कक्षा 12वीं में प्राप्तों का प्रतिशत)
 - (ब) अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के दौरान दर्ज कराई गई संस्थान की प्राथमिकता
- ii. सीट आवंटन के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाईन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। SMS एवं पोर्टल के माध्यम से भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन की जानकारी उपलब्ध होगी। अलॉटमेंट लेटर में प्रवेश हेतु अवधि एवं अंतिम तिथि उल्लेखित होगी।
- iii. उपरोक्तानुसार प्राप्त अलॉटमेंट में अभ्यर्थी के लिए अप्रोगेडेशन का एक अवसर उपलब्ध होगा। इस अप्रोगेडेशन का चयन करने पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा अभ्यर्थी द्वारा चयनित संस्थानों में स्थान रिक्त होने पर अभ्यर्थी की संस्था को अप्रोगेड किया जा सकता है।

10.2.3 संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया:

- i. संस्थान में प्रवेश लेने हेतु अवधि निर्धारित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में प्रवेश लेना होगा।
- ii. संस्थान उन्हें आवंटित अभ्यर्थियों की सूची पोर्टल पर देख सकेंगे।
- iii. उपरोक्त अनुसार सीट अलॉटमेंट लेटर के आधार पर अभ्यर्थी को सम्बन्धित संस्थान में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। संस्थान द्वारा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन एवं शुल्क प्राप्त करने पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी एवं संस्थान द्वारा सम्बन्धित छात्र की सीट लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा।
- iv. संस्थान द्वारा एम.पी. ऑनलाईन द्वारा उपलब्ध करायी गयी लॉगिन आई.डी. के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
- v. सीट आवंटन निरस्तीकरण:
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निम्न कारणों से अभ्यर्थी का सीट आवंटन निरस्त किया जा सकता है: -
 - (अ) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होता है।
 - (ब) अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज संस्थान को उपलब्ध नहीं कराता है।
 - (स) अभ्यर्थी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पात्र नहीं पाया जाता है।
 - (द) अन्य कोई औचित्यपूर्ण कारण
- vi. यदि संस्थान द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है तो सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

10.2.4 प्रतीक्षा सूची

- i. उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् संस्थानों में शेष रिक्त सीट्स पर कंडिका 10.2.2 के अनुसार सीट आवंटन की कार्यवाही पुनः करते हुए प्रथम प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी।
- ii. प्रतीक्षा सूची के आधार पर चयनित आवेदकों के प्रवेश कंडिका 10.2.3 के अनुसार किए जाएंगे।

10.3 उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रथम चरण की काउंसलिंग पूर्ण होगी। आवश्यकतानुसार इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसलिंग की जाएगी।

10.4 शिकायत निवारण प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर हेल्पलाईन केन्द्र एवं शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित किये

जाएँगे। यदि संस्थान द्वारा किसी अभ्यर्थी को अकारण प्रवेश से वंचित किया जाता है अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है तो अभ्यर्थी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

- 10.5 प्रवेश प्रक्रिया की मॉनिटरिंग: राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रत्येक डी.एल.एड. संस्थानों के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर उन्हें मॉनिटरिंग संबंधी दायित्व प्रदान किये जायेंगे।
- 10.6 प्रवेश के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति का सत्यापन संस्थान द्वारा किया जाएगा। सत्यापन रसीद प्राप्त होने के पश्चात् ही अभ्यर्थी संस्था में प्रवेश हेतु पात्र होगा। सत्यापित प्रमाण-पत्रों की एक प्रति संस्थान द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल के क्षेत्रिय कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी एवं मूल दस्तावेज छात्र को तत्काल वापस किये जाने होंगे। सत्यापन उपरान्त यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में विसंगति पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर एवं संबंधित संस्थान के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
11. अभ्यर्थी के प्रवेश का निरस्तीकरण: यदि यह संज्ञान में आया कि, कोई अभ्यर्थी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेशित होता है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है तो माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
12. महाविद्यालय द्वारा नियमों की अवहेलना की स्थिति में कार्यवाही: महाविद्यालय द्वारा इन नियमों के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की कार्यवाही न करने की स्थिति में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध यथोचित जांच कर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी।
13. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त महाविद्यालयों में अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची एम.पी. ऑनलाइन द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को उपलब्ध कराई जाएगी, इस सूची में दर्ज अभ्यर्थी ही माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र माने जाएँगे।
14. उक्त नियमों के आधार पर मध्यप्रदेश के ऐसे सभी शासकीय संस्थान जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से सम्बद्धता प्राप्त "डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एज्युकेशन" द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, में प्रवेश की प्रक्रिया राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आयोजित की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल।
2. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र/आदिवासी विकास/लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला-कलेक्टर (म.प्र.)।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (म.प्र.)।
7. मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्राचार्य शासकीय शिक्षा संस्थान (समस्त)।
9. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण/उपायुक्त आदिवासी विकास (समस्त)।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग (समस्त)।
11. प्राचार्य हाइट (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. आई.सी.टी. कक्ष, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर एज्यूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//आर.के.//